भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1174

सोमवार, 27 जुलाई, 2026 / 5 श्रावण, 1948 (शक)

श्रम कानून अनुपालन और शिकायत निवारण संबंधी पहलों की समीक्षा

†1174. श्रीमती सुप्रिया सुले:
प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़:
डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हे:
श्री भास्कर मुरलीधर भगरे:
श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटील:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) संगठन ने विगत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में श्रम कल्याण, श्रम कानून अनुपालन और शिकायत निवारण पहलों के कार्यान्वयन की समीक्षा की है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान महाराष्ट्र में मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) संगठन द्वारा वर्ष-वार किए गए निरीक्षणों, आयोजित जागरूकता कार्यक्रमों तथा प्राप्त एवं निपटाई गई शिकायतों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा विनिर्माण, निर्माण, संभार-तंत्र और सेवा सहित महाराष्ट्र के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में श्रम कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार द्वारा महाराष्ट्र में अनुबंध, प्रवासी और असंगठित कामगारों के कल्याण के सुरक्षोपाय हेतु कोई विशेष पहल की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा उक्त राज्य में डिजिटल शिकायत निवारण, श्रम जागरूकता और प्रवर्तन तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) और (ख): जी, हां, मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) संगठन महाराष्ट्र में केन्द्रीय अधिकार-क्षेत्र में आने वाले स्थापनों में श्रम कल्याण, श्रम कानून अनुपालन, और शिकायत निवारण पहलों के कार्यान्वयन की नियमित रूप से समीक्षा और निगरानी करता है। पिछले 03 वर्षों के लिए, केंद्रीय क्षेत्र के संगठनों के अपेक्षित आंकड़े **संलग्नक-I** पर हैं।

(ग): महाराष्ट्र के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों, जिनमें विनिर्माण, सन्निर्माण, लॉजिस्टिक्स और सेवाएं

जारी..2/

शामिल हैं, में श्रम कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, केन्द्रीय सरकार ने निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता प्रणाली की शुरुआत की है, जो वेब-आधारित, यादृच्छिक और जोखिम-भारित निरीक्षण फ्रेमवर्क के माध्यम से काम करती है। नया विधिक ढांचा तत्कालीन श्रम कानूनों के तहत एकाधिक पंजीकरणों, लाइसेंसों और वैधानिक रिटर्नों के स्थान पर एकल पंजीकरण, एकल लाइसेंस और एकल एकीकृत रिटर्न लाकर उपर्युक्त क्षेत्रों में श्रम विनियमन को सुव्यवस्थित करता है।

(घ): जी, हां, ठेका, प्रवासी और असंगठित कामगारों के कल्याण की रक्षा के लिए विभिन्न कदम और योजनाएं शुरू की गई हैं, जिनका ब्यौरा **संलग्नक-II** पर है।

(ङ): शिकायतों के समयबद्ध और पारदर्शी निपटान के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) द्वारा समर्थित, मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में समर्पित शिकायत निवारण कक्ष स्थापित किए गए हैं। नवीनीकृत समाधान पोर्टल औद्योगिक विवादों को निपटाने के लिए एक एकीकृत मंच के रूप में कार्य करता है और श्रम सुविधा पोर्टल नियोक्ताओं और प्रवर्तन निकायों के बीच एक एकल इंटरफ़ेस प्रदान करता है।

** ******

जारी.. 3/-

संलग्नक-I

"श्रम कानून अनुपालन और शिकायत निवारण संबंधी पहलों की समीक्षा" के संबंध में श्रीमती सुप्रिया सुले और अन्य द्वारा दिनांक 27.07.2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1174 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित संलग्नक।

महाराष्ट्र में सीएलसी संगठन निम्नलिखित के समाधान में सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए शिकायतों और औद्योगिक विवादों का सक्रिय रूप से समाधान करता है:

- औद्योगिक विवाद
- उपदान दावों का भुगतान
- मजदूरी के कम भुगतान और मजदूरी के गैर-भुगतान से संबंधित दावा मामलों का निपटान

<u>मामलों के निपटान संबंधी आंकड़े</u>

वित्त वर्ष	**निपटाए गए औद्योगिक मामले**	**उपदान के निपटाए गए मामले**	**न्यूनतम मजदूरी के निपटाए गए मामले**	**मजदूरी के भुगतान के निपटाए गए मामले**
2023–24	825	559	120	25
2024–25	1006	1231	177	35
2025–26	629	1672	81	151

<u>औद्योगिक विवादों के निपटारे तथा उपदान और दावा मामलों के निपटान के माध्यम से कामगारों को लाभ</u>

वर्ष	**लाभान्वित कर्मकारों की संख्या**	**वितरित मौद्रिक राहत (₹ लाख में)**
2023–24	1642	520
2024–25	1584	1922
2025–26	4868	54176

जारी..4/-

[शिकायत, जन शिकायत, दावों, निरीक्षणों और औद्योगिक विवादों (आईडी) के संयुक्त आंकड़े]

<u>निरीक्षणों और अनियमितताओं संबंधी आंकड़े</u>

वर्ष	**आयोजित निरीक्षणों की संख्या**	**पाई गई अनियमितताएं**	**ठीक की गईं**	**शुरू किए गए अभियोजन**	**दोषसिद्धि**
2023-2024	1657	9538	9248	290	88
2024-2025	3420	12812	12522	290	109
2025-2026	943	3453	2486	120	12

<u>पिछले तीन वर्षों की जन शिकायतों संबंधी आंकड़े</u>

वर्ष	**प्राप्त**	**निपटाए गए**
2023-2024	651	612
2024-2025	624	613
2025-2026	2414	2027

<u>आयोजित किये गए जागरूकता कार्यक्रमों संबंधी आंकड़े</u>

मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) संगठन द्वारा महाराष्ट्र राज्य में विशेष रूप से ठेका श्रम अनुपालन, महिलाओं के कार्यस्थल संरक्षण (प्रसूति प्रसुविधा, समान पारिश्रमिक), सामाजिक सुरक्षा उपबंधों आदि पर केंद्रित आयोजित जागरूकता कार्यक्रम निम्नानुसार संरचित हैं:

कवर किए गए स्थापनों की संख्या	247
प्रतिभागियों की संख्या	11650
वितरित पुस्तिकाओं (पैम्फलेटों) की संख्या	15300
सोशल मीडिया (पोस्ट/रीपोस्ट)	446

जारी..5/-

कवर किए गए प्रमुख स्थापनों में डब्ल्यूसीएल की 8 इकाइयां, एमओआईएल की 2 इकाइयां, एनटीपीसी, मध्य रेलवे, ऑर्डनेंस फैक्ट्री - अंबाझरी, ऑर्डनेंस फैक्ट्री - भंडारा, एनईईआरआई, महानगर गैस लिमिटेड, मुंबई पोर्ट अथॉरिटी, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां जैसे एचपीसीएल, ओएनजीसी, जेएनपीटी, एनपीसीआईएल, नाबार्ड, सेबी, रेलवे, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, गेल आदि शामिल हैं।

जारी..6/-

संलग्नक-II

"श्रम कानून अनुपालन और शिकायत निवारण संबंधी पहलों की समीक्षा" के संबंध में श्रीमती सुप्रिया सुले और अन्य द्वारा दिनांक 27.07.2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1174 के भाग (घ) के उत्तर में संदर्भित संलग्नक।

1. **सार्वभौमिक न्यूनतम और निम्नतम मजदूरी**: मजदूरी संहिता के तहत, केन्द्रीय सरकार एक सार्वभौमिक "निम्नतम मजदूरी" निर्धारित करती है। कोई भी राज्य सरकार अपनी न्यूनतम मजदूरी इस आधार-रेखा से नीचे तय नहीं कर सकती है।

2. **ई-श्रम पोर्टल**: ई-श्रम पोर्टल गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों सहित असंगठित कामगारों को पंजीकृत करता है और उन्हें स्व-घोषणा के आधार पर एक यूनिवर्सल एकाउंट नंबर (यूएएन) प्रदान करता है।

3. **समाधान पोर्टल:** असंगठित और ठेका कामगारों के लिए अवैध रूप से सेवामुक्ति, रोकी गई मजदूरी, या उपदान से वंचित किए जाने के विरुद्ध सीधे शिकायत दर्ज करने के लिए डिज़ाइन किया गया एक डिजिटल शिकायत मंच।

4. **प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम)**: पीएम-एसवाईएम एक स्वैच्छिक और सह-अंशदायी योजना है जो 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद ₹3,000 की गारंटीकृत मासिक पेंशन के साथ वृद्धावस्था वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है।
